

श्री प्रकाश अग्रवाल  
श्री प्रकाश अग्रवाल  
श्री प्रकाश अग्रवाल

संख्या

श्री प्रकाश अग्रवाल  
श्री प्रकाश अग्रवाल  
श्री प्रकाश अग्रवाल

विभाग 17: अनुभाग

तख्तक: दिनांक: 16-9-03

विषय:- **श्री प्रकाश अग्रवाल एवं श्री प्रकाश अग्रवाल को अंतर्राज्यीय शिक्षण से संबंधित अनुदान प्राप्त करने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषय के आर आपका ध्यान आकृष्ट करत हुये मुझे यह कथन का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **अंतर्राज्यीय** नई दिल्ली से संबंधित अनुदान प्राप्त प्रमाण पत्र दिसे जाने में इस राज्य सरकार का निष्ठाविरा प्रतिक्रिया के अधीन आपात्त नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सौसापटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- विद्यालय की प्रयोग शक्ति में शिक्षा निदेशक द्वारा नाशित एक स्तर के विद्यालय में कम से कम 10 प्रोफेसर स्थान अनुसंधान के लिए संयोजित कक्षाओं के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्रोमाध्यम शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केन्द्र शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट उच्चाभिनशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्रोमाध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

2-

संस्था एवं शिक्षा एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से का वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अनासरीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उन्हीं का पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई पारदर्शन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि इसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृथा या श्रथिभसा करता जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

अहमद

सिवा प्रबन्धक

पुस्तकालय एवं पुस्तकालय तैय

- 1- प्रशासनिक निरीक्षण आ सुचनाय स्थ. आचरण वर्षवादी हनु प्रयोग
- 2- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 3- मण्डलीय संपुक्त शिक्षा निदेशक, ~~लखनऊ~~ ।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, ~~लखनऊ~~ ।
- 5- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०लखनऊ ।
- 6- प्रबंधक, ~~सिवा प्रबन्धक~~ ।
- 7- जार्ड बुक ।

अहमद

सिवा प्रबन्धक

पंजीकृत तहसीलदार  
Manager  
Sunrise Public School  
Sivana (Bulandshahr)

Principal  
Sunrise Public School  
Sivana, Bulandshahr